

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 150

दायरा तिथि : 16.04.2025

आदेश तिथि : 23-04-2025

प्रार्थी :-

ज्योति प्रभा राणावत पत्नी श्री हेमकिरत सिंह राणावत जाति राजपूत निवासी पंच
रमन विहार, लाई का गुडा, उदयपुर
ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 23-04-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 799 रकबा 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 803 रकबा 0.1800 हैक्टर व खसरा नंबर 804 रकबा 0.1800 हैक्टर व खसरा नंबर 806 रकबा 0.32 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्रोतों में से निकटतम है।

यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	803	0.18 हैक्टर	नहरी सोयम	20x9=180 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	804	0.18 हैक्टर	गै.मु. मगरा	60x9=540 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3	806	0.32 हैक्टर	नहरी सोयम	55x9=495 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि भू.अ. निरीक्षक बीजापुर द्वारा प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 803 व 806 की डी.एल.सी. दर 310000/- रुपये प्रति हैक्टर एवं खसरा नंबर 804 की डी.एल.सी. दर 220000/- रुपये प्रति हैक्टर है।

5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 150

अनवान ज्योति प्रभा वनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 799 रकबा 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 799 रकबा 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 803 रकबा 0.1800 हैक्टर व खसरा नंबर 804 रकबा 0.1800 हैक्टर व खसरा नंबर 806 रकबा 0.32 हैक्टर में से 180+540+495=1215 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 310000/-रूपये एवं 220000/-रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
803	0.18 हैक्टर	20X9=180 वर्गमीटर	31	5580X2=11160	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
804	0.18 हैक्टर	60X9=540 वर्गमीटर	22	11880X2=23760	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
806	0.32 हैक्टर	55X9=495 वर्गमीटर कुल 1215 वर्गमीटर	31	15345X2=30690 कुल 65610	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 65610/- (अक्षरे पैसठ हजार छः सौ दस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभिलेख बीजापुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पलिनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।




क्रमांक/कोर्ट/2025/ 377-38
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक ज्योति प्रभा राणावत पत्नी श्री हेमकिरत सिंह राणावत जाति राजपूत-निवासी पंच रमन विहार, लाई का गुडा, उदयपुर को सूचनार्थ।

सहायक जिला अधिकारी एवं पदेन
जयपुर जिला - पाली (राज.)
दिनांक : 23-04-25

सहायक जिला अधिकारी एवं पदेन
जयपुर जिला - पाली (राज.)



ग्राम-बीजापुर
 तहसील-बाली
 जिला-पाली

सहायक कमिश्नर एवं सहायक
 जिलाधिकारी, बाली

प्रमाणित खाता
 रूफ

court

[Signature]
 3189/965
 तहसील-बाली, जिला-पाली

श्री. अ. निरीक्षक
 विभागाधीन, जिला-पाली

